

09/01/2023

पत्रावली प्रथी जयनारायण व्यास जरिये अधिवक्ता
प्राप्त स्वामीजि जिसे जाने बाबत प्राप्त वीआई
मुकदमा नम्बर 2022/87 पूर्व नम्बर 31/17 पेश
जिये जाने पर पेश हुई। वकील की सजीव व्यास
प्रथी की पहचान की गई। वकील प्रथी को बुला
गया। प्रथीगण अब अपने प्राप्त में कोई
कार्रवाई नहीं चाहते हैं। अतः वकील प्रथी
को प्राप्त Not process जिये जाने की अनुमति दी
जाकर प्राप्त प्रथी इत्यादि निषेधाज्ञा रवरीज
किया जाता है। पत्रावली फेरल शुमार देवर
नम्बर से कर ले।



महायुक्त कलक्टर
लखनऊ विभा-द्वारा (कलक)